



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48457

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 692/2026

लालता प्रसाद

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी बरेली और 8 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: विजया शंकर शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम (संक्षेप में, 'यू.पी.च.अ.')
- 21(1) के अंतर्गत कार्यवाहियों से उद्भूत हुई है।
3. अनंतिम चकबंदी योजना में याचिकाकर्ता को दो स्थानों पर चक संख्या 189 प्रस्तावित किया गया है; प्रथम भूखंड संख्या 33/1 पर, क्षेत्रफल 0.652 हेक्टेयर, तथा द्वितीय चक भूखंड संख्या 75 एवं 76/1 पर, क्षेत्रफल 0.150 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 0.802 हेक्टेयर है। अपने द्वितीय चक से व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाकर्ता ने यू.पी.च.अ. की धारा 21(1) के अंतर्गत आवेदन/आपत्ति प्रस्तुत करते हुए, द्वितीय चक के विनिमय मूल्य को भूखंड संख्या 33/1 पर स्थित प्रथम चक में समायोजित करने की माँग की। चकबंदी

अधिकारी ने दिनांक 08.11.2024 के आदेश द्वारा यह आपत्ति इस संप्रेक्षण के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



खारिज कर दी कि शेष चकधारक अपनी मूल जोत से वंचित हो जाएँगे। चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी तथा उप निदेशक चकबंदी द्वारा क्रमशः वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील एवं पुनरीक्षण पर अभिपुष्ट किया गया है। सभी चकबंदी न्यायालयों ने यह स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि याचिकाकर्ता को उसके बोरिंग सहित भूखंड संख्या 33/1 पर प्रथम चक प्रस्तावित किया गया है तथा याचिकाकर्ता के द्वितीय चक का विनिमय मूल्य उसके भूखंड संख्या 33/1 पर स्थित प्रथम चक में स्थानांतरित करना इस कारण व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे शेष चकधारक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जिन्हें उड़ान चक आवंटित किया जाएगा तथा वे अपनी मूल जोत से विस्थापित हो जाएँगे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भूखंड संख्या 33/1 तथा भूखंड संख्या 75 वर्तमान याचिकाकर्ता की मूल जोत हैं और उन्हें दोनों चक उनकी मूल जोत पर ही प्रस्तावित किए गए हैं। तीनों चकबंदी न्यायालयों द्वारा अभिलिखित तथ्य के एकमत निष्कर्षों का वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, मुझे वर्तमान रिट याचिका को ग्रहण करने अथवा चकबंदी न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्यपूर्ण आधार प्रतीत नहीं होता है। चकबंदी न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अधिमूल्यांकन पर आधारित हैं और वे किसी ऐसी अवैधता, अनियमितता, विकृति अथवा निर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित ठहराए। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि याचिकाकर्ता किस प्रकार पूर्वाग्रहित हुआ है अथवा उपरोक्त आक्षेपित आदेशों के कारण उसके साथ न्याय का अपलाप होने की कोई संभावना है।

5. परिणामतः, वर्तमान रिट याचिका, भ्रामक अवधारणा पर आधारित एवं गुण-दोष से रहित होने के कारण, लागत का कोई आदेश नहीं करते हुए खारिज की जाती है।

10 मार्च, 2026

विनय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।